



2026:AHC:127581

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-19993 वर्ष 2026

शमीम

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) की ओर से अधिवक्ता : अभिषेक श्रीवास्तव, निधि पाठक, पूजा गौड़

विपक्षी(गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री निखिल पाठक और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना।
2. वर्तमान जमानत याचिका एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/18/25/29/60 पुलिस स्टेशन-भोट, जिला-रामपुर के तहत अपराध संख्या 30 वर्ष 2026 में, आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।
3. आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक के कब्जे से बरामद की गई प्रतिबंधित वस्तु की मात्रा 1.36 किलोग्राम अफीम है जिसे वाणिज्यिक मात्रा से कम कहा जाता है। तर्क यह है कि पुलिस ने अपराध की गंभीरता को बढ़ाने के लिए जानबूझकर राशि को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया है। वसूली के संबंध में अभियोजन पक्ष की कहानी की सच्चाई पर हमला करने वाली अन्य प्रस्तुतियाँ भी की गई हैं। आगे तर्क यह है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट,

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



1985 के वैधानिक प्रावधानों का सही अक्षर से अनुपालन नहीं किया गया है, और इसलिए, कथित बरामदगी की कानूनी पवित्रता को नुकसान पहुंचाया गया है। अधिवक्ता ने आवेदक के झूठे निहितार्थ को इंगित करने वाली परिस्थितियों को प्रदर्शित करने की भी कोशिश की है। अभियुक्त की ओर से रखी गई दलीलों के दौरान अभियोजन पक्ष के पीछे दुर्भावना का भी बखान किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक 19.03.2026 से जेल में है और उसका कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदक के खिलाफ अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

5. पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों, आरोपों की प्रकृति, रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा की गई कैद की अवधि, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि की अनुपस्थिति, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय ने पाया कि आवेदक ने जमानत देने के लिए एक मामला बनाया है।

6. तदनुसार, जमानत आवेदन की **अनुमति** दी जाती है।

7. आवेदक- **शमीम** जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि को कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त की चूक के मामले

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



में, ट्रायल कोर्ट के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार आदेश पारित किया जाएगा।

(ii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति के मामले में, पर्याप्त कारण के बिना, ट्रायल कोर्ट उसके खिलाफ धारा 229-ए आईपीसी/269 बीएनएस के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और धारा 82 सीआरपीसी / 84 बीएनएसएस के तहत अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, फिर, ट्रायल कोर्ट उसके खिलाफ कानून के अनुसार, अंतर्गत धारा 174-क आईपीसी/209 बी.एन.एस. कार्यवाही आरंभ करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामले की सुनवाई, (2) आरोप तय करने और (3) सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि ट्रायल कोर्ट की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो ट्रायल कोर्ट के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जून 16, 2026

कीर्ति

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”